न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 53/2017

उनवान

कानाराम पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी ग्राम नान्दला, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. चन्दराम पुत्र हरजी, (फौत व अप्रार्थी संख्या 1 विरूद्ध प्रा0पत्र अबैट)
2. गोपाल पुत्र हरजी,
3. रामलाल पुत्र हरजी,
4. रणजीत पुत्र हरजी,
5. हरीनिवास पुत्र रामस्वरूप,
6. सुमित्रा पुत्री रामस्वरूप,
7. माया पुत्री रामस्वरूप,
8. श्रीमती गीता देवी जाट पत्नी रामस्वरूप स्वयं व बहैसियत माता एवं प्राकृतिक संरक्षक नाबालिग पुत्र गणेश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी ग्राम नान्दला,
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद,
10. उप पंजीयक नसीराबाद

—— अप्रार्थी :– 2 से 5 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
9 व 10 जरियें राज0 पैरोकार
शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 13.5.24

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला में प्रार्थी की खातेदारी आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

हाल खसरा नम्बर	रकबा	वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा
994	0.80	1039 मिन	5–2–0
995	0.03	1039 मिन	[illegible]0

उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में प्रार्थी के नाम अंकित थी। कि[illegible]ल [illegible] अभिलेख में अवैध नामान्तकरण के आधार पर उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज [illegible] जिस कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे व अन्यत्र हस्तान्तरण [illegible] पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटि[illegible]लब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि चौसाला खसरा नम्बर 769

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.08.23 17:27:19 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 8–10–0 छोगा पुत्र ज्वारा 1/2 हिस्सा व तीजणी पत्नी चतुर्भुज 1/2 हिस्से के रूप में सम्वत 2023–2026 में खातेदारी दर्ज थी। उक्त खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के पूर्वज होने के कारण उक्त खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वर्किग खसरा नम्बर 1039 रकबा 5–5–0 भूमि को त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रार्थी के नाम दर्ज करने के कारण नामान्तकरण संख्या 18 से भूमि प्रार्थी कानाराम की सहमती से नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के नाम दर्ज की गयी। हाल खसरा नम्बर 994 रकबा 0.80 व 995 रकबा 0.03 अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के नाम दर्ज की गयी। आराजी मुतनाजा से प्रार्थी का कोई लेना देना नही है। नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 30.07.1985 को अज दिवस तक चुनौती नही देने से प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 9 व 10 की ओर से राज0 पेरोकार उपस्थित शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध विधिवत रूप ये एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रार्थना पत्र विचारण के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु होने व उसके वारिस नियमानुसार रिकार्ड पर नही लेने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्द, प्रार्थना पत्र अबैट किया जा चुका है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 994 रकबा 0.80 व 995 रकबा 0.03 अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 1039 रकबा 5–2–0 बने है जो तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में कल्याण पुत्र तेजा के नाम खातेदारी दर्ज थी। तथा जरियें विरासत प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 31.8.85 द्वारा वंर्किग खसरा नम्बर 1039 रकबा 5–5–0 इन्द्राज दुरूस्ती से अप्रार्थीगण/पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। उक्त नामान्तकरण में अंकन है कि कानमल द्वारा सहमती प्रकट की है कि उक्त आराजी सहवन से उसके नाम दर्ज हो गयी है तथा कब्जा हरजी का होने के कारण उक्त नामान्तकरण से आराजी मुतनाजा प्रार्थी के स्थान पर अप्रार्थीगण/पूर्वज के नाम दर्ज की गयी। उक्त नामान्तकरण सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा तस्दीक किया गया। प्रकरण में प्रार्थी की इन्द्राज दुरूस्ती हेतु सहमती पेश नही की गयी है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा किस आदेश से उक्त इन्द्राज दुरूस्ती का नामान्तकरण तस्दीक किया यह स्पष्ट नही किया है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज थी। प्रार्थी के पिता कल्याण व अप्रार्थीगण के पिता हरजी के पिता का नाम तेजा नामान्तकरण में अंकित है। अर्थात प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वज तेजा थे। किन्तु चौसाला जमाबंदी में चौसाला खसरा नम्बर 769 रकबा 8–18–0 छोगा पुत्र ज्वारा 1/2 हिस्सा व तीजणी पत्नी चतुर्भुज 1/2 हिस्से के रूप में सम्वत 2023–2026 में खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा छोगा पुत्र ज्वारा व तीजणी पत्नी चतुर्भुज का शजरा पेश नही किया है। वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 18 में अंकित भूमि की इन्द्राज दुरूस्ती किस आदेश व कौन से जमाबंदी के इन्द्राज के आधार पर की गयी यह प्रकरण में स्पष्ट नही है। अप्रार्थीगण के पूर्वज तेजा के नाम की चौसाला जमाबंदी अप्रार्थीगण द्वारा पेश नही की गयी है। वंर्किग जमाबंदी, चौसाला जमाबंदी व हाल [illegible] में भूमि का इन्द्राज भिन्न–भिन्न है। आराजी मुतनाजा का सही [illegible] तय होगा। वंर्किग जमाबंदी के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया [illegible] सिद्ध होता है।

2. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग [illegible] जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। साथ ही विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.08.23 17:27:19 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी में प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज थी। चौसला जमाबंदी में दर्ज खातेदारों से अप्रार्थीगण का क्या संबध है यह स्पष्ट नही किया है। अप्रार्थीगण के पूर्वज का नाम हरजी पुत्र तेजा है जिनके नाम की चौसाला जमाबंदी प्रकरण में पेश नही है। वंर्किग जमाबंदी में नामानतकरण संख्या 18 से की गयी इन्द्राज दुरूस्ती की सत्यता का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही किया जायेगा। हाल राजस्व अभिलेख में भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि का बैचन किया जाता है तो मौके पर वाद बहुलता की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। प्रश्नगत सम्पदा निर्विवाद रूप से विवादित है। भूमि के मालिकाना हक का निर्धारण शेष है अतः आराजी मुतनाजा की सुरक्षा किया जाना न्यायोचित होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होना अभिकथित किया जा सकता है इसलिये उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है। सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी निर्णित किया गया है। भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है जबकि पूर्व राजस्व अभिलेख में भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज थी। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी का बैचान/हस्तांतरण किया जाता है अथवा मौका स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो मौके पर वाद बहुलता की संभावना से इंकार नही किया सकता व ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व व्यायादेश जारी किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश :– अतः ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 994 रकबा 0.80 व 995 रकबा 0.03 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 2 से 10 को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मौका व राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखे। भूमि का बैचान/हस्तांतरण नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.08.23 17:27:19 IST
Reason: SelfAttested